अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सीईएन संख्या. 05/2026 (पैरामेडिकल श्रेणी)

(हिंदी)

01 सीईएन 05/2026 के लिए आवेदन प्रारंभ होने की तिथि क्या है?

आवेदन के प्रारंभ होने की तिथि **15-09-2026** है।

02 सीईएन 05/2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14-10-2026 @ 23.59 बजे है और जमा किए गए आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि **16-10-2026** है।

03 आवेदन में संशोधन की तिथियां क्या हैं?

संशोधन विंडो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद ही खुलेगी और **17.10..2026 से 26.10.2026** तक सक्रिय रहेगी। यदि उम्मीदवार "अकाउंट बनाएं" फॉर्म (ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित) और चुने गए आरआरबी के विवरण के अलावा किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहते हैं, तो वे प्रत्येक बार के लिए 250/- रुपये का संशोधन शुल्क (वापसी योग्य नहीं) देकर ऐसा कर सकते हैं। (कृपया ध्यान दें: "अकाउंट बनाएं" फ़ॉर्म और 'चुने हुए आरआरबी' में भरे गए विवरण संशोधित नहीं किए जा सकते हैं)।

04 मेरे अंतिम परिणाम 14.10.2026 के बाद आने की उम्मीद है। क्या मैं आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

नहीं, निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताओं के अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं। उम्मीदवारों के पास इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएँ होनी चाहिए।

05 "अकाउंट बनाएं" के लिए क्या आवश्यकताएँ हैं?

भर्ती की पूरी अवधि के दौरान संचार के लिए उम्मीदवारों के पास अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और वैध एवं व्यक्तिगत ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि उनसे संपर्क एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से किया जाएगा। ।

06 मैंने रेलवे के पिछले CENs के लिए एक अकाउंट बनाया है। क्या मुझे CEN 05/2026 के लिए एक और अकाउंट बनाना चाहिए?

नहीं, जिन उम्मीदवारों ने **2024/2025/2026** में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना के दौरान पहले ही अकाउंट बना लिया है, उन्हें दोबारा अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें **CEN 05/2026** के लिए आवेदन करने हेतु उसी उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करना होगा।

07 "अकाउंट बनाएं" की प्रक्रिया क्या है?

अगर किसी उम्मीदवार ने अभी तक आरआरबी आवेदन पोर्टल पर अकाउंट नहीं बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन करने से पहले अकाउंट बनाना होगा। ऐसा करने के लिए, एप्लीकेशन लिंक के होम पेज पर "Apply" टैब पर क्लिक करें और फिर "अकाउंट बनाएं" चुनें। ऑनलाइन अकाउंट बनाने वाले फॉर्म में ज़रूरी जानकारी भरें और एक पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड में बड़े अक्षर (capital letters), छोटे अक्षर (small letters), नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अकाउंट सफलतापूर्वक बन जाने पर, उम्मीदवार को पुष्टि हेतु एसएमएस और ईमेल भेजा जाएगा।

08 क्या मैं "अकाउंट बनाएं" विवरण संशोधित कर सकता/सकती हूँ?

एक बार अकाउंट बन जाने के बाद उम्मीदवार "अकाउंट बनाएं" के किसी भी विवरण को संशोधित नहीं कर सकते/सकती हैं।

09 "अकाउंट बनाएं" के बाद अगली प्रक्रिया क्या है?

- अकाउंट बनाने के बाद, आरआरबी क्रेडेंशियल या आधार क्रेडेंशियल का उपयोग करके rrbapply.gov.in पोर्टल पर आवेदन करने के लिए लॉग-इन करें।
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए पाँच मुख्य खंड हैं जैसे व्यक्तिगत विवरण, अन्य विवरण, शैक्षणिक योग्यता, प्रोफ़ाइल दस्तावेज़ अपलोड करना, पूर्वावलोकन तथा वरीयता और जमा करें।
- "अकाउंट बनाएं" चरण में भरी गई जानकारी आवेदन पत्र में अपने आप भर जाएगी और इसे बदला नहीं जा सकता। व्यक्तिगत विवरण से शुरुआत करते हुए सभी जानकारी दर्ज करें। व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने के बाद, उसे सेव करें और अगले भाग पर जाएँ और इस तरह अंतिम खंड तक जारी रखें जब तक पूर्वावलोकन और वरीयता और जमा करें, तक नहीं पहुँच जाते, जहाँ उम्मीदवार अंततः भुगतान के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकता है।
- शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदक को आरआरबी से ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी। इसके बाद, उम्मीदवार जमा किए गए आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं जिनमें पंजीकरण संख्या उल्लेखित होगा।

  नोट: जिन उम्मीदवारों ने पहले ही **2024/2025/2026** के आरआरबी अधिसूचनाओं के लिए आवेदन किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस सीईएन के लिए आवेदन करते समय आवेदन मॉड्यूल के व्यक्तिगत विवरण, अन्य विवरण और शैक्षणिक योग्यता और प्रोफ़ाइल दस्तावेज़ अपलोड (फ़ोटो और हस्ताक्षर) के संबंधित पृष्ठों पर अपने पहले से सेव किए गए डेटा से जानकारी जांच लें कि वह सही है या नहीं, और फिर भुगतान के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ें।

"अकाउंट बनाएं" फॉर्म में भरे गए विवरण में (नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, मैट्रिकुलेशन रोल नंबर, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र क्रमांक, मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र दिनांक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और चुने हुए आरआरबी सहित आधार ई-केवाईसी विवरण) को संशोधित नहीं किया जा सकता है।

10 क्या आवेदन भरने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है?

हाँ, वेब ब्राउज़र का उपयोग करके आवेदन करने के लिए स्मार्ट मोबाइल फ़ोन का उपयोग किया जा सकता है।

11 लॉग इन करने की प्रक्रिया क्या है?

पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें, उसके बाद पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें और जमा करें।

12 सीईएन 05/2026 में कितने पे-लेवल हैं?

सीईएन **05/2026** (**लेवल-3 से लेवल-7**) में केवल पाँच पे-लेवल है।

13 आवेदन कैसे करें?

आवेदन कैसे करें, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए कृपया पैरा 14.0 देखें। गलतियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत सीईएन में दी गई सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

14 आवेदन पंजीकरण संख्या का क्या उपयोग है?

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक जमा किए गए आवेदन की पंजीकरण संख्या को नोट कर लें और याद रखें। पंजीकरण संख्या का उपयोग भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों और आरआरबी के साथ पत्राचार के लिए किया जाएगा। विस्तृत सीईएन 05/2026 के पैरा 13.0 (ख) देखें।

15 दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) प्रमाणपत्र के लिए महत्वपूर्ण तिथि क्या है?

दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक या उससे पहले अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए।

16 क्या मैं समान वेतन स्तर के लिए विभिन्न आरआरबी में आवेदन कर सकता हूँ?

नहीं। उम्मीदवारों को केवल एक ही आरआरबी के लिए आवेदन करने की अनुमति है।

17 क्या मैं एक से अधिक आरआरबी में आवेदन कर सकता हूँ?

नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक से ज़्यादा आरआरबी में आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएँगे और आरआरबी व आरआरसी की सभी भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

18 क्या मैं एक ही आरआरबी में कई आवेदन कर सकता हूँ?

नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही आरआरबी में कई आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएँगे और आरआरबी तथा आरआरसी की सभी भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

19 मैंने लेसिक सर्जरी करवाई है। क्या मैं आवेदन करने के योग्य हूँ?

कृपया सीईएन 05/2026 के पैरा 3.0 का नोट (ख) देखें।

20 डिजिलॉकर/आधार सत्यापन क्यों आवश्यक है?

उम्मीदवारों के लिए भर्ती के विभिन्न चरणों में प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए डिजिलॉकर/आधार सत्यापन आवश्यक है। इसके अलावा, उम्मीदवारी की वास्तविकता सुनिश्चित करने और सीबीटी के दौरान प्रतिरूपण को रोकने के लिए, आरआरबी आधार विवरण किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेंगे या इस सीईएन के उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उनका उपयोग नहीं करेंगे। यदि आवेदक अपनी पहचान और अन्य प्राथमिक विवरणों को वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों से सत्यापित करते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उनकी अधिक सख्त और गहन जाँच की जाएगी।

21 यदि मेरे पास आधार नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में "अकाउंट बनाएं" चरण के दौरान डिजिलॉकर या आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करें। यदि वे इस चरण से चूक गए हैं, तो वे ऑनलाइन आवेदन विवरण भरने की प्रक्रिया के दौरान "आधार सत्यापित करें" सुविधा का उपयोग करके और अपना आधार विवरण प्रदान करके प्रमाणीकरण कर सकते हैं। किसी विशेष सीईएन के लिए आवेदन जमा करने से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे उम्मीदवारों के लिए भर्ती के विभिन्न चरणों में एक सुगम प्रक्रिया संभव होगी। यदि आवेदक अपनी पहचान और अन्य प्राथमिक विवरणों को वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों से सत्यापित करते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उनकी अधिक सख्त और गहन जाँच की जाएगी।

22 यदि मैंने अपना नाम पहले ही बदल लिया है, तो मुझे कौन से दस्तावेज़ प्रस्तुत करने चाहिए?

आवेदकों के पास नाम में परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना या अन्य कानूनी दस्तावेज़, जो उपयुक्त हो, होना चाहिए, जिसे सीबीटी (CBT) और डीवी (DV) के समय जमा करना अनिवार्य है। नाम बदलने या उसके लिए आवेदन करने की तारीख, ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख से पहले की होनी चाहिए। आवेदकों को 'अकाउंट बनाएं' के दौरान अपना मूल नाम और बदला हुआ नाम दोनों दर्ज करना अनिवार्य होगा । ऐसे मामलों में, आवेदन पत्र में दोनों नाम प्रदर्शित होंगे।

23 यदि मैं अपना अकाउंट लॉग इन करने के लिए पासवर्ड भूल गया हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए?

लॉग इन पृष्ठ पर "अपने अकाउंट में साइन इन करें" सेक्शन में "पासवर्ड भूल गए" (Forgot Password) विकल्प पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर या पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें। संशोधित पासवर्ड केवल उम्मीदवार की पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे गए संशोधित पासवर्ड के साथ लॉग इन करना होगा।

24 क्या मैं अपना पासवर्ड बदल सकता हूँ?

हाँ। उम्मीदवारों को पहले पुराने पासवर्ड का उपयोग करके लॉग-इन करना चाहिए। लॉग-इन करने के बाद, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ के ऊपरी दाईं हिस्से में उपलब्ध 'पासवर्ड बदलें' विकल्प पर जाकर अपना पुराना पासवर्ड बदल सकते हैं।

25 क्या मैं अपना 'चुना हुआ आरआरबी' बदल सकता हूँ?

नहीं, आप आवेदन जमा करने के बाद 'चुने हुए आरआरबी' को नहीं बदल सकते हैं।

26 क्या मैं आवेदन प्रक्रिया के दौरान अपने विवरण बदल सकता हूँ?

हाँ। "अकाउंट बनाएं" के दौरान दर्ज किए गए विवरणों के अलावा आवेदन में कोई भी विवरण आवेदन जमा होने और पंजीकरण संख्या जनरेट होने तक बदला जा सकता है।

27 मैंने आवेदन में अपने समुदाय/जाति का गलत उल्लेख किया है। क्या मैं आवेदन जमा करने के बाद अपने समुदाय/जाति में संशोधन कर सकता हूँ?

हाँ, संशोधन अवधि के दौरान निर्धारित शुल्क देकर ही विवरण में बदलाव किया जा सकता है। हालाँकि, संशोधन अवधि समाप्त होने के बाद विवरण में बदलाव करने की अनुमति नहीं है। दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के दौरान आपको ऑनलाइन आवेदन के अनुसार समुदाय और जाति का विवरण प्रस्तुत करना होगा ।

28 क्या मैं ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद भुगतान करने से पहले अपने आवेदन विवरण में बदलाव कर सकता हूँ?

- नहीं, उम्मीदवार आवेदन जमा करने के बाद विवरण में बदलाव नहीं कर सकते हैं।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वरीयता और पूर्वावलोकन एवं सबमिट पृष्ठ पर आवेदन पूर्वावलोकन में अपने द्वारा भरे गए विवरण की सत्यता की दोबारा जाँच करें और यदि सभी जानकारी सही है तो आवेदन जमा करें, क्योंकि भुगतान के लिए आवेदन जमा करने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। यदि आवेदन पूर्वावलोकन में कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो वे " संशोधित करें" बटन पर क्लिक करके आवेदन मॉड्यूल के संबंधित पृष्ठ पर गलत जानकारी को सुधार सकते हैं, फिर सत्यता के लिए आवेदन का दोबारा पूर्वावलोकन कर सकते हैं और आवेदन जमा कर सकते हैं।
- आवेदन जमा करने के बाद, अपेक्षित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें और भुगतान प्रक्रिया पूरी करें। यदि कोई उम्मीदवार "अकाउंट बनाएं" फॉर्म में भरे गए विवरण और चुने गए आरआरबी के अलावा किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहता है, तो वे संशोधन अवधि के दौरान हर बार 250/- रुपये (वापसी योग्य नहीं) का संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं।

29 'नि:शुल्क यात्रा प्राधिकरण' ('नि:शुल्क रेलवे पास) के लिए कौन पात्र हैं?

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों (जिन्होंने आवेदन में इसका विकल्प चुना है) को चयन के विभिन्न चरणों जैसे सीबीटी/डीवी/मेडिकल जाँच (जो भी लागू हो) के लिए 'सिटी इंटिमेशन स्लिप' या 'ई-कॉल लेटर' के साथ मुफ़्त स्लीपर क्लास रेलवे पास दिया जाएगा। यह पास उन्हें उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी और वैध जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मिलेगा। 'व्यक्तिगत विवरण' पृष्ठ के 'समुदाय' सेक्शन में, 'क्या आप परीक्षा के लिए मुफ़्त रेल यात्रा पास लेना चाहते हैं' वाले ड्रॉप-डाउन से 'हाँ' (Yes) चुनकर और 'नज़दीकी रेलवे स्टेशन' की जानकारी भरकर इसका लाभ उठा सकते हैं। केवल उन्हीं उम्मीदवारों से जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा जाएगा जो मुफ़्त रेल यात्रा पास लेना चाहते हैं। पूरी जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन के पैरा 19.0 (ई) को देखें।

30 मैं ''नि:शुल्क यात्रा प्राधिकरण' (मुफ़्त रेलवे पास) कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?

ट्रेन आरक्षण बुक करते समय और यात्रा के दौरान, उम्मीदवार की प्रामाणिकता के सत्यापन के लिए, संबंधित अधिकृत रेलवे कर्मचारी को मूल एससी और एसटी जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। उन्हें टिकट बुकिंग काउंटर पर सिटी इंटिमेशन स्लिप/ई-कॉल लेटर और एससी और एसटी जाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति जमा करके ट्रेन आरक्षण बुक करने की अनुमति होगी। एससी और एसटी उम्मीदवार को यात्रा के लिए अपना मूल एससी और एसटी जाति प्रमाण पत्र और पहचान पत्र साथ रखना चाहिए, ऐसा न करने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा। इस नि:शुल्क यात्रा सुविधा का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग करने पर चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित किया जाना भी शामिल है। पूरी जानकारी के लिए कृपया विस्तृत सीईएन का पैरा 19.0 (ई) देखें।

31 मैं निःशुल्क यात्रा सुविधा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?

पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के मामले में, उनके सिटी इंटिमेशन स्लिप /ई-कॉल लेटर में ही निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण (स्लीपर क्लास रेलवे पास) अंकित होगा। उन्हें टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने सिटी-इंटीमेशन स्लिप /ई-कॉल लेटर और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति जमा करके ट्रेन आरक्षण बुक करने की अनुमति होगी। अधिक जानकारी के लिए, सीईएन संख्या 05/2026 का पैरा 19.0 (ई) का संदर्भ लें ।

32 मैं अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ।

स्कैन किया गया दस्तावेज़ 'पीडीएफ' प्रारूप में जांच लें और उसका आकार 400 केबी से कम हो।

33 'ईबीसी' क्या है?

'ईबीसी' का अर्थ 'आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग' है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000/- रुपये से कम है। उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए।पैरा 7.3 देखें I

34 ईबीसी उम्मीदवारों को क्या लाभ दिए जाते हैं?

ईबीसी उम्मीदवारों को केवल "शुल्क में छूट" दी जाती है लेकिन वे आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।

35 यदि कोई उम्मीदवार ईबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो क्या होगा?

यदि किसी उम्मीदवार ने ईबीसी के रूप में शुल्क में छूट का लाभ उठाया है, तो उसके पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले एक वैध आय प्रमाणपत्र (सीईएन के अनुलग्नक III ए के अनुसार) या बीपीएल कार्ड या रेलवे द्वारा जारी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (इज़्ज़त एमएसटी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाणपत्र होना चाहिए और उसे दस्तावेज़ सत्यापन के समय इसे जमा करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। पूरी जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन का पैरा 7.3 देखें।

36 क्या ईबीसी के लिए आरक्षित पद हैं?

नहीं। ईबीसी उम्मीदवार केवल शुल्क में छूट के पात्र हैं। ईबीसी उम्मीदवारों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं।

37 अल्पसंख्यकों में कौन शामिल है?

अल्पसंख्यकों के अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी शामिल हैं, जिन्हें उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है जहां से उम्मीदवार संबंधित है यह ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त किसी भी संशोधन/विलोपन/समावेशन यदि कोई हो, के अधीन है। (कृपया सीईएन का पैरा 7.2 देखें)

38 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को क्या लाभ मिलते हैं? यदि कोई उम्मीदवार दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा का शपथ पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो क्या होगा?

अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को केवल 'शुल्क में छूट' दी जाती है और वे आरक्षण लाभों के लिए पात्र नहीं हैं। परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा (सीईएन के अनुलग्नक IV के अनुसार) के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

39 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत आरक्षण प्राप्त करने के मानदंड क्या हैं?

आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध विस्तृत सीईएन संख्या 05/2026 के पैरा 8.13 का संदर्भ लें।

40 शुल्क में छूट के लिए कौन पात्र हैं?

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन(पीडब्ल्यूबीडी), महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार शुल्क में छूट के लिए पात्र हैं। **कृपया सीईएन -05/2026 का पैरा 7.0 देखें** ।

41 इस सीईएन - 05/2026 के लिए आयु की गणना हेतु निर्णायक तिथि क्या है?

इस सीईएन - 05/2026 के लिए आयु की गणना हेतु निर्णायक तिथि 01.01.2027 है।

42 शैक्षणिक योग्यता हेतु निर्णायक तिथि क्या है? क्या वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनका परिणाम 14-10-2026 के बाद अपेक्षित है?

उम्मीदवारों (मौजूदा/नए) के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात **14-10-2026** तक या उससे पहले अपनी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। निर्धारित शैक्षणिक /तकनीकी योग्यता के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

43 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की स्थिति का दावा करने हेतु निर्णायक तिथि क्या है?

इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग- (एनसीएल) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए समुदाय/श्रेणी की स्थिति को ही पात्रता के अनुसार आरक्षण और संबंधित लाभों के लिए ही माना जाएगा। उसके बाद इस स्थिति में किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन के पैरा 8.0 (वर्टिकल आरक्षण) देखें। एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस स्थिति के आधार पर आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनके पास जाति/समुदाय प्रमाण पत्र मौजूद हो। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात **14-10-2026** तक मान्य अपना मूल जाति/समुदाय प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में), प्रस्तुत करना होगा।

44 मैंने फ़ार्मेसी वगैरह में डिप्लोमा किया है; क्या मैं पैरामेडिकल कैटेगरी के पदों के लिए आवेदन कर सकता हूँ?

CEN-05/2026 के 'पोस्ट पैरामीटर्स' में 'एनेक्ज़र-A' (ANNEXURE-A) के तहत शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दी गई है।

45 मैं वर्तमान में सशस्त्र बलों में सेवारत हूँ। क्या मैं भूतपूर्व सैनिक के रूप में आवेदन कर सकता हूँ?

CEN के पैरा 10.2का संदर्भ लें ,सशस्त्र सेवा कार्मिक जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक सशस्त्र बलों में सेवारत रहे हैं, उन्हें अनुलग्नक VI (ए) के अनुसार "सेवा से सेवामुक्ति की संभावित तिथि सहित रोजगार प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा, जो इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्य है। इसके अतिरिक्त, सभी उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय पूर्व-सैनिक आरक्षण का लाभ लेने के लिए अनुलग्नक VI के अनुसार एक वचन पत्र जमा करना होगा। पूरी जानकारी के लिए कृपया विस्तृत सीईएन के पैरा 10.0 को देखें।

46 मैंने भूतपूर्व सैनिक के रूप में पहले ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है। क्या मैं इस सीईएन के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक के लाभों के लिए पात्र हूँ?

भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों का उपयोग करके केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'सी' और पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में पहले ही सिविल रोज़गार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप 'सी'/पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी' में उच्च ग्रेड या संवर्ग में दूसरे सिविल रोज़गार पाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित केवल आयु सीमा में छूट का लाभ ही दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत सीईएन संख्या 05/2026 के पैरा 10.0 देखें।

47 क्या मैं किसी दूसरे पद के लिए कॉमन एप्लीकेशन जमा कर सकता हूँ?

उम्मीदवार को RRB की आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए सिर्फ़ एक ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। उम्मीदवार को उन सभी नोटिफ़ाई किए गए पदों के लिए अपनी पसंद का क्रम बताना होगा (ज़ोन/पोस्ट), जिनके लिए वे योग्य और इच्छुक हैं। जिन उम्मीदवारों ने कुछ ही विकल्प चुने हैं, उन पर केवल उन्हीं रेलवे ज़ोन और पदोंश्रेणियों के लिए विचार किया जाएगा / जिन्हें उन्होंने चुना है।

48 दस्तावेज़ सत्यापन के समय किसे अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा ?

रेलवे या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के विभाग में कार्यरत (प्रारंभिक प्रशिक्षण/परिवीक्षा अवधि से

गुजर रहे उम्मीदवारों सहित) उम्मीदवार अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए सीधे आरआरबी को आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज़ सत्यापन/एम्पैनलमेंट/नियुक्ति के दौरान/उसी समय निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना उम्मीदवार की पूर्णतः जिम्मेदारी है। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी/ एम्पैनलमेंट/नियुक्ति अस्वीकार और रद्द कर दी जाएगी। कृपया सीईएन के पैरा संख्या 12.0 का संदर्भ लें।

49 आवेदन जमा करने के बाद, मैंने केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। क्या मुझे दस्तावेज़ सत्यापन के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा?

हाँ। यद्यपि आपने आवेदन जमा करने के बाद किसी भी केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सेवा ग्रहण कर ली है, फिर भी आपको दस्तावेज़ सत्यापन के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी/ एम्पैनलमेंट रद्द कर दी जाएगी।

50 पीडब्ल्यूबीडी के लिए निर्दिष्ट दिव्यांगता की बेंचमार्क डिग्री क्या है?

एक व्यक्ति को बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) के रूप में माने जाने के लिए, दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।

51 क्या पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं?

हाँ, बशर्ते कि पद उम्मीदवार की विकलांगता के प्रकार के अनुकूल हो।पीडब्ल्यूबीडी के लिए किसी पद की उपयुक्तता या अनुपस्थिति, पदवार मानदंड तालिका (अनुलग्नक- ए) में प्रत्येक पद के सामने, "बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता" कॉलम के अंतर्गत, दिव्यांगता की निर्दिष्ट उप-श्रेणी के विवरण के साथ दर्शाई गई है।

52 मैं पदों के लिए विभिन्न दिव्यांगता की उपयुक्तता के बारे में कैसे जान सकता हूँ?

दिव्यांगता के लिए किसी पद की उपयुक्तता या अनुपस्थिति, पद मानदंड तालिका (अनुलग्नक- ए) में प्रत्येक पद के सामने, "बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्तता" कॉलम के अंतर्गत, दिव्यांगता की निर्दिष्ट उप-श्रेणी के विवरण के साथ दर्शाई गई है।

53 मैं एक पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार हूँ, क्या मुझे सीबीटी के लिए एक स्क्राइब की आवश्यकता होगी?

कृपया पूरी जानकारी के लिए विस्तृत सीईएन के संबंध में पैरा 11.0 से 11.7.11 तक देखें।

54 सीबीटी में पात्र उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब की सुविधा का लाभ कैसे उठाया जा सकता है?

कृपया विस्तृत सीईएन - 05/2026 के संबंध में पैरा 11.7 देखें।

55 स्क्राइब के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है?

कृपया विस्तृत सीईएन - 05/2026 के संबंध में पैरा संख्या 11.7.8 से 11.7.9 देखें।

56 मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में मेरी जन्मतिथि आधार या अन्य पहचान पत्र से भिन्न है। मुझे आवेदन में कौन सी जन्मतिथि दर्ज करनी होगी?

आवेदन जमा करने से पहले, आधार या अन्य पहचान पत्रों में जन्मतिथि को सही करना होगा। हालाँकि, आवेदन में केवल मेट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र के अनुसार ही जन्म तिथि दर्ज की जानी है।

57 "शुल्क रिफंड" के लिए कौन पात्र हैं?

प्रथम चरण सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवार केवल विस्तृत सीईएन संख्या 05/2026 के पैरा 7.4 के अनुसार "शुल्क रिफंड" (बैंक शुल्क की विधिवत कटौती) के पात्र हैं। कृपया ध्यान दें कि संशोधन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

58 कृपया मुझे आरआरबी की "रिफंड नीति" के बारे में बताएँ।

रिफंड नीति : भुगतान करके, आवेदक स्वीकार करता है और सहमत होता है कि किया गया भुगतान वापस नहीं किया जाएगा और

आवेदक किसी भी परिस्थिति में चार्जबैक नहीं ले सकता। शुल्क रिफंड योग्य भाग (विस्तृत सीईएन के पैरा 7.4 के अनुसार) केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर लागू होगा जो सीबीटी परीक्षा में उपस्थित रहेंगे। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या अस्वीकृत आवेदनों और सीबीटी में अनुपस्थिति के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

59 आवेदन में केवल मैट्रिकुलेशन दिखाई दे रहा है। मैं अपनी अन्य योग्यताएँ कैसे जोड़ू?

"योग्यता" के अंतर्गत संबंधित योग्यता चुनें, योग्यता विवरण भरें और 'जोड़ें' बटन पर क्लिक करें।

60 यदि मैट्रिक और अन्य योग्यता प्रमाण पत्रों पर केवल उत्तीर्ण होने का महीना और वर्ष उपलब्ध है, तो मुझे आवेदन में कौन सी तिथि दर्ज करनी चाहिए?

यदि किसी भी योग्यता प्रमाणपत्र पर तिथि उपलब्ध नहीं है, तो प्रमाणपत्र पर उपलब्ध महीने की अंतिम तिथि दर्ज करें। उदाहरण के लिए, मई-2023 को 31-05-2023 के रूप में दर्शाया जा सकता है।

61 यदि जिला/राज्य का विभाजन हो गया है, तो मुझे किस जिले/राज्य का उल्लेख करना चाहिए?

वर्तमान जिले/राज्य का उल्लेख किया जा सकता है क्योंकि विभाजन के बदले में संबंधित राज्य के लिए कुछ जिले नहीं दिखाए जाएँगे, उदाहरण के लिए... आंध्र प्रदेश के दो राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) में विभाजन के बाद। संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्य के जिलों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया है। इसके अलावा, संबंधित राज्यों के जिलों को आगे और विभाजन किया गया है। इसलिए, अस्पष्टता से बचने के लिए वर्तमान जिले/राज्य का उल्लेख किया जा सकता है।

62 कुल मिलाकर कौन-कौन से दस्तावेज़ अपलोड करने हैं?

सभी उम्मीदवारों को निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अपने स्कैन किए हुए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निःशुल्क यात्रा पास प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

63 अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ों का साइज क्या होना चाहिए?

कृपया विवरण के लिए सीईएन संख्या 05/2026 का पैरा संख्या 14.5.1 व 14.5.2 देखें।

64 मैं शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता हूँ?

शुल्क भुगतान केवल नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई सेवाओं के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। शुल्क के अतिरिक्त, उम्मीदवार से लागू होने वाले सभी सर्विस चार्ज उम्मीदवार को ही देने होंगे। भुगतान करते समय, भुगतान के माध्यम की प्रामाणिकता और इस सीईएन के लिए ऑनलाइन भुगतान की आखिरी तिथि और समय का ध्यान रखें।

65 मुझे कितनी फीस चुकानी होगी?

सीईएन संख्या 05/2026 का पैरा 7.0 देखें।

66 भर्ती प्रक्रिया के चरण क्या हैं और मैं कार्यक्रम कैसे जान सकता हूँ?

एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षण (सीबीटी), दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) और चिकित्सा जांच (एमई)। सीबीटी के कार्यक्रम और स्थान की जानकारी पात्र उम्मीदवारों को आरआरबी की वेबसाइट, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से यथासमय दी जाएगी। सीबीटी के किसी भी चरण को स्थगित करने या स्थान, तिथि और शिफ्ट (पाली) में परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

67 सीबीटी का पैटर्न और पाठ्यक्रम क्या है?

कृपया पैरा13.0देखें और सीईएन संख्या 05/2026 के अनुलग्नक – (सी) देखें।

68 क्या ऋणारात्मक अंकन होगा?

सीबीटी में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की दर से ऋणारात्मक अंकन होगा।

69 मुझे अपनी परीक्षा के लिए भाषा का चयन कहाँ करना चाहिए?

उम्मीदवार "व्यक्तिगत विवरण" पृष्ठ के अंतर्गत ड्रॉप-डाउन मेनू में उपलब्ध भाषाओं की सूची में से एक भाषा चुन सकते हैं।

70 क्या मुझे उन सभी पदों के लिए वरीयता क्रम प्रदान करना चाहिए जिनके लिए मैं पात्र हूँ?

हाँ, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे चुने हुए आरआरबी में जितने पदों के लिए पात्र हैं, उतने के लिए अपनी वरीयता क्रम दर्शाएँ। आंशिक वरीयता का चयन करने वाले उम्मीदवारों पर केवल उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट रेलवे ज़ोन और पदों/श्रेणियों के लिए ही विचार किया जाएगा, बशर्ते आवंटन के समय रिक्तियाँ उपलब्ध हों। यदि निश्चित पदों/श्रेणियों के लिए कोई वरीयता नहीं दी जाती है, तो इसे उन पदों के लिए उनकी अनिच्छा माना जाएगा। एक बार वरीयताएँ जमा हो जाने के बाद, वे अंतिम मानी जाएँगी और उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

71 क्या राज्य की सूची में शामिल ओबीसी, ओबीसी- एनसीएल आरक्षण के लिए पात्र हैं?

जो ओबीसी राज्य की सूची में तो हैं लेकिन ओबीसी की केंद्रीय सूची (http://www.ncbc.nic.in) पर मौजूद नवीनतम सूची के अनुसार में शामिल नहीं हैं, वे आरक्षण का दावा करने के पात्र नहीं हैं।

72 मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन अंतिम रूप से जमा हो गया है?

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम स्वीकृति शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही होगी। आवेदक को सफल भुगतान पर ईमेल और एसएमएस के माध्यम से पुष्टि प्राप्त होगी और उसके बाद, वे आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

73 मेरे आवेदन के अस्वीकार होने की स्थिति में, क्या मेरे द्वारा भुगतान किया गया शुल्क रिफंड किया जाएगा?

आवेदन अस्वीकार होने पर कोई शुल्क रिफंड नहीं किया जाएगा।

74 मेरा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और मेरा ई-कॉल लेटर भी जनरेट हो गया है। क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में स्वीकार कर लिया गया है?

भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश अनंतिम होगा, बशर्ते उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।

केवल ई-कॉल लेटर जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि उम्मीदवार की उम्मीदवारी आरआरबी द्वारा भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए स्वीकार कर ली गई है।

सीबीटी के समय, उम्मीदवार को सीबीटी देने से पहले, उनके फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रामाणिकता और वास्तविकता के साथ-साथ उनके अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की भी जाँच की जाएगी।

उम्मीदवारों का क्रेडेंशियल उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रामाणिकता के साथ-साथ बाद के भर्ती के अगले चरणों अर्थात् मेडिकल जांच/दस्तावेज सत्यापन, में सत्यापित किया जाएगा।

75 क्या मैं आवेदन का प्रिंट आउट ले सकता/सकती हूँ?

हाँ। उम्मीदवार परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद अपने आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं।

76 लाइव तस्वीर अपलोड करने की प्रक्रिया क्या है?

कृपया विस्तृत विवरण के लिए सीईएन संख्या 05/2026 का पैरा सं. 14.4 देखें।

77 हस्ताक्षर अपलोड करने की प्रक्रिया क्या है? किस प्रकार के हस्ताक्षर अपलोड किए जाने चाहिए?

कृपया विस्तृत विवरण के लिए सीईएन संख्या 05/2026 का पैरा संख्या 14.5.1 देखें।)

78 मैं रिक्तियों का विवरण कहाँ पा सकता हूँ ?

आरआरबी वार रिक्तियां सीईएन संख्या 05/2026 के अनुलग्नक 'बी'(Annexure-B) में दी गई है।

79 आवेदन जमा करने से संबंधित प्रश्नों के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?

उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन: CEN 05/2026 के आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए (सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)

ईमेल: rrb.help@csc.gov.in

फ़ोन: 9592001188

लेंडलाइन: 0172-5653333